EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 893—895

Dated 23-6-2012

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 2012

सा.का.नि. 150.—केन्द्रीय सरकार, विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) की धारा 48 की उप-धारा (2) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य द्वारा दान या भेंट के माध्यम से विदेशी अभिदाय की स्वीकृति या प्रतिधारण के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विदेशी अभिदाय (दान या भेंट की स्वीकृति या प्रतिधारण) नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) अभिप्रेत है;

(ख) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां जो परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं का क्रमशः वही अर्थ होगा जो उनका अधिनियम में है ।

3. **दान या भेंट के माध्यम से विदेशी अभिदाय की स्वीकृति या प्रतिधारण की रीति.**—(1) जब किसी भारतीय प्रतिनिधिमंडल के किसी सदस्य को दान या भेंट के माध्यम से विदेशी अभिदाय किया जाता है तो ऐसा व्यक्ति ऐसे दान या भेंट की प्राप्ति के तीस दिन की अवधि के भीतर उस मंत्रालय या विभाग जिसने उस कार्यक्रम को प्रायोजित किया था, के सचिव को लिखित में निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करेगा, अर्थात् :—

(i) ऐसा दान या भेंट प्राप्त करने का तथ्य;

(ii) वह विदेशी स्रोत जिससे ऐसा दान या भेंट प्राप्त किया गया है;

(iii) ऐसे दान या भेंट का अनुमानतः बाजार मूल्य;

(iv) ऐसे दान या भेंट की प्राप्ति की तारीख और स्थान;

(v) उससे संबंधित कोई अन्य ब्यौरे जो कि ऐसे व्यक्ति द्वारा समुचित समझे जाएं :

परंतु यह कि जहां ऐसे दान या भेंट का अनुमानतः बाजार मूल्य ऐसे व्यक्ति की राय में पांच हजार रुपए से अधिक हो जाता है, तो वह ऐसे दान या भेंट को ऐसे मंत्रालय या विभाग के सचिव के पास जमा करेगा :

परंतु यह और कि ऐसे व्यक्ति द्वारा एक से अधिक दान या भेंट प्राप्त करने की दशा में और जब ऐसे दानों या भेंट का समग्र बाजार मूल्य पंद्रह हजार रुपए से अधिक हो जाता है तो वह ऐसे दानों या भेंट को ऐसे मंत्रालय या विभाग के सचिव के पास जमा करेगा ।

(2) जब कोई व्यक्ति किसी विदेश या भारत से बाहर किसी राज्य क्षेत्र के अपने भ्रमण के दौरान कोई दान या भेंट प्राप्त करता है तो वह भारत में अपनी वापसी के तीस दिन के भीतर उप-नियम (1) के खंड (i) से खंड (v) में विनिर्दिष्ट सूचना उनमें विनिर्दिष्ट रीति में प्रस्तुत करेगा ।

(3) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट सचिव, भारत सरकार उसके पास जमा किए गए प्रत्येक ऐसे दान या भेंट को उनके बाजार मूल्य के निर्धारण के लिए विदेश मंत्रालय के तोशाखाना के लिए अग्रेषित करेगा ।

(4) उप-नियम (3) में निर्दिष्ट निर्धारण तोशाखाना में दान या भेंट की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनने वाले बोर्ड द्वारा किया जाएगा :—

(i) संयुक्त सचिव, विदेश मंत्रालय;

(ii) अवर सचिव या अताशे, विदेश मंत्रालय;

(iii) सीमा-शुल्क मूल्य निरूपक, विदेश बंदरगाह कार्यालय, वित्त मंत्रालय;

(5) यदि उप-नियम (4) के अधीन किए गए निर्धारण के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो उसे गृह सचिव, भारत सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जो उसका विनिश्चय करेगा ।

(6) उप-नियम (4) के अधीन निर्धारित दान या भेंट के बाजार मूल्य या उप-नियम (5) के अधीन यथा विनिश्चित मूल्य से संबंधित व्यक्ति को संसूचित किया जाएगा ।

(7) यदि एकल दान या भेंट का उप-नियम (4) के अधीन यथानिर्धारित बाजार मूल्य पांच हजार रुपए से अधिक नहीं होता है तो इसे संबंधित व्यक्ति को उसके द्वारा प्रतिधारित करने के लिए वापस लौटा दिया जाएगा :

परंतु यह कि एक से अधिक दान या भेंट की दशा में प्रत्येक ऐसे एक दान या भेंट को उस व्यक्ति को प्रतिधारित करने के लिए लौटा दिया जाएगा यदि उप-नियम (4) के अधीन उसका यथानिर्धारित बाजार मूल्य पांच हजार रुपए से अधिक नहीं होता है :

परंतु यह और कि इस संबंध में किसी संसूचना की प्राप्ति के तीस दिन की अवधि के भीतर ऐसे व्यक्ति को उसे वापस लौटाए गए दान या भेंट से भिन्न अपनी पसंद के दूसरे दान या भेंट को उप-नियम (4) के अधीन निर्धारित उसके समग्र बाजार मूल्य और पांच हजार रुपए के बीच के अंतर का संदाय करने पर क्रय करने का विकल्प होगा :

परंतु यह भी कि इस प्रकार उपयोग किया गया विकल्प अंतिम होगा ।

[फा. सं. II/21022/10(2)/2011-एफसी-III (पी)]

जी. वी. वी. सरमा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th June, 2012

G.S.R. 150.—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of Section 48 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010), the Central Government hereby makes the following rules with regard to the acceptance or retention of foreign contribution by way of gift or presentation made to a member of an Indian delegation, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Foreign Contribution (Acceptance or Retention of Gifts or Presentations) Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**—In these Rules, 2011, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means The Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010);

(b) words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. **Manner of acceptance or retention of foreign contribution by way of gifts or presentations.**—(1) Where any foreign contribution by way of gift or presentation is made to a member of any Indian delegation, such person shall, within a period of thirty days of the receipt of such gift or presentation, furnish the following information in writing to the Secretary to the Government of India in the Ministry or the Department that has sponsored the programme, namely :—

(i) the fact of having received such gift or presentation;

(ii) the foreign source from which such gift or presentation has been received;

(iii) the approximate market value of such gift or presentation;

(iv) the date and the place of receipt of such gift or presentation;

(v) any other details relating thereto, as may be considered appropriate by such person :

Provided that where the approximate market value of such gift or presentation exceeds the equivalent of five thousand rupees in the opinion of such person, he shall deposit such gift or presentation with the Secretary of such Ministry or Department :

Provided further that where more than one gift or presentation is received by such person and the aggregate market value of such gifts or presentations exceed fifteen thousand rupees, he shall deposit all such gifts or presentations with the Secretary of such Ministry or Department.

(2) Where a person receives any gift or presentation during his or her visit to any foreign country or territory outside India, he or she shall, within a period of 30 days from his or her return to India, furnish the information specified in clauses (i) to (v) of sub-rule (1) in the manner specified therein.

(3) The Secretary to the Government of India, referred to in sub-rule (1) shall, forward every such gift or presentation deposited with him or her to the Toshakhana in the Ministry of External Affairs for assessment of its market value.

(4) The assessment referred to in sub-rule (3) shall be made within a period of thirty days from the date of receipt of the gift or presentation in the Toshakhana by a Board consisting of the following members namely :—

(i) Joint Secretary in the Ministry of External Affairs;

(ii) Under Secretary or Attache in the Ministry of External Affairs;

(iii) Customs Appraiser, Foreign Port Office, in the Ministry of Finance.

(5) If any question arises in respect of the assessment made under sub-rule (4), it shall be referred to the Secretary to the Government of India in the Ministry of Home Affairs who shall decide the same.

(6) The market value of the gift or presentation as assessed under sub-rule (4) or as decided under sub-rule (5) shall be communicated to the person concerned.

(7) If the Market value of the single gift or presentation as assessed under sub-rule (4) does not exceed five thousand rupees, it shall be returned to the person concerned for retention by him or her :

Provided that in the case of gift or presentation being more than one, only one of such gifts or presentations of his or her choice shall be returned to such person for retention, if the aggregate of its market value as assessed under sub-rule (4) does not exceed five thousand rupees :

Provided further that such person shall, within a period of thirty days from the date of receipt of any communication in this regard, have the option to purchase such other gift or presentation of his choice, other than the gift or presentation returned to him for retention, on payment of the difference between the aggregate market value of such gifts or presentations as assessed under sub-rule (4) and five thousand rupees:

Provided also that the option so exercised shall be final.

[F. No. II/21022/10(2)/2011-FC-III (P)]

G. V. V. SARMA, Jt. Secy.

IndiaCode

MGIPRRND--2275 HA/12—100 Copies.